11-9-18

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई परन्तु प्रार्थी / वकील प्रार्थी या A.A. कोई उपस्थित नहीं है न्यायालय का समय समाप्त होने को है अतः प्रार्थी का T.I. प्रा० पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner